

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(4)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 15-05-25

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत कॉलम सं० 2 में वर्णित न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु कॉलम सं० 3 में वर्णित अभियोजकों को कॉलम सं० 4 में वर्णित रिक्त पदों पर मासिक रिटेनरशिप रुपये 21,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र.सं०	न्यायालय	नाम अभियोजक	पदनाम
1	2	3	4
1	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं०4, अलवर	श्री कुलदीप कुमार जैन (आर/310/1991)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं०4, अलवर
2	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं०5, अलवर	श्री ओमवीर (आर/2340/2003)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं०5, अलवर

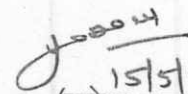
आज्ञा से

हो

(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलेक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 13 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर से राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
- 14 रक्षित पत्रावली।


15/5/25
(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि